कार्यवृत्त नीलामी

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 23.01.2023 के अनुपालन में न्यायापीठ सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (कैन्टीन-नाश्ता चाय आदि, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ) की नीलामी वित्तीय वर्ष-2024-2025 हेतु नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 23.01.2024 को सांय 04:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें श्री आलोक शर्मा, सदस्य नीलाम समिति / अपर जिला जज कक्ष संख्या-11 सहारनपुर, श्री कमलदीप सदस्य क्रय समिति / अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-द्वितीय सहारनपुर तथा श्री संजीव कुमार शर्मा सदस्य क्रय समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये।

सर्वप्रथम इस न्यायपीठ में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की बोली के सम्बन्ध में नियम व शर्तों पर विचार-विमर्श किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित की गयीं। केन्द्रीय नाज़िर को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त सम्बन्ध में नियम व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक सूचना न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा दो स्थानीय समाचार-पत्रों व एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशन करायें एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी नीलामी तिथि व विवरण अपलोड़ करायें।

नीलामी की तिथि ए.ड़ी.आर. भवन में दिनांक 03.02.2024 समय सांय 04:30 बजे नियत की जाती है।

(संजीव कुमार शर्मा)	कमलदीप 23.1.24 (कमलदीप)	23/01/24 (आलोक शर्मा)	23/1/24 (प्रकाश तिवारी)
सदस्य क्रय समित/	सदस्य क्रय समिति/	सदस्य क्रय समिति /	अध्यक्ष क्रय समिति/
कोर्ट मैनेजर	अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II	अपर जिला जज कक्ष संख्या-11	विशेष न्यायाधीश(एस.सी.एस.टी.एक्ट)/
सहारनपुर।	सहारनपुर।	सहारनपुर।	प्रभारी अधिकारी नज़ारत सहारनपुर।

Approved.

23/01/24.

नियम व शर्तें

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, साईकिल स्टैन्ड़, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02, एवं रेहड़ी दाल मौठ) की नीलामी हेतु वित्तीय वर्ष-2024-2025 के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिनका अनुपालन अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थित में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

1. दिनांक 15.03.2024 तक एक मुश्त जमा की गयी ठेके की धनराशि के 25 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष धनराशि माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त , सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा किया जायेगा। किश्त का भुगतान न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
2. अनुज्ञप्ति धारक के किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति धारक को करनी होगी।
3. अनुज्ञप्ति धारक को सम्पूर्ण टेका की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्ड़रटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि अनुज्ञप्ति की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नही करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।
4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
5. बोलीदाताओं द्वारा बोली देने से पूर्व दोनों पान की दुकान एवं रेहड़ी दाल मौठ के लिए अंकन 30,000/-(तीस हज़ार) रुपये तथा चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैन्ड़ एवं दोनों फोटोस्टेट दुकान के लिए अंकन 1,00,000/-(एक लाख) रुपये प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा करने होंगे, बोली की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाताओं के नाम ठेका नही छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।
7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण नही किया जायेगा।
8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, साईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।
10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जायेगा।
11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पैट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।
13. समस्त बोली प्राप्त करने वाले ठेकेदार को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त दिनांक 15.03.2024 तक जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. जिन बोलीदाताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन बोलीदाताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रुप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को ज़ब्त कर लिया जायेगा।
15. ठेके की प्रतिमाह की देय किश्त माह की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक बयाज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानो पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।
17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिड़िंग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था टेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुन: कनेक्शन लगाने की अनुमति नही होगी।
18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा करेगा।
19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगें व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगें।
20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में ड़िफाल्टर नही है।

(संजीव कुमार शर्मा) सदस्य क्रय समित/ कोर्ट मैनेजर सहारनपुर।	कमलदीप 23.1.24 (कमलदीप) सदस्य क्रय समिति/ अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II सहारनपुर।	23.01.24 (आलोक शर्मा) सदस्य क्रय समिति / अपर जिला जज कक्ष संख्या-11 सहारनपुर।	23/1/24 (प्रकाश तिवारी) अध्यक्ष क्रय समिति/ विशेष न्यायाधीश(एस.सी.एस.टी.एक्ट)/ प्रभारी अधिकारी नज़ारत,सहारनपुर।

Approved.
24/01/24.

सार्वजनिक सूचना

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड़, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2,पान की दुकान नं0-01,पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ की नीलामी के लिए वित्तीय वर्ष-2024-2025 हेतु कार्यवाही दिनांक 03.02.2024 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.ड़ी.आर. भवन में की जायेगी । इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्ते, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष / नीलाम समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)
सहारनपुर ।

प्रेस विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड़, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01,पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ की नीलामी के लिए वित्तीय वर्ष-2024-2025 हेतु कार्यवाही दिनांक 03.02.2024 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.ड़ी.आर. भवन में की जायेगी । इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्ते, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष / नीलाम समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)
सहारनपुर।